

प्रेस नोट दिनांक :- 23.08.2020

आज दिनांक 23.08.2020 को श्री विजय दुल पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व क्षेत्राधिकारी बांसी के पर्यवेक्षण में श्री प्रदीप कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक खेसरहा के नेतृत्व में उप-निरीक्षक श्री अजय कुमार यादव, उप-निरीक्षक श्री सुभाष प्रजापति मय हमराह द्वारा थाना खेसरहा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 132/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट से संबंधित अभियुक्त को स्थान -देउरी तिराहा से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

नाम पता अभियुक्त

1- हबीउल्लाह पुत्र गोली बंजारा साकिन देउरी थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर बरामदगी का विवरण-

1- 1.00 kg अवैध गांजा व एक अदद मोटरसाइकिल संख्या UP 55 AB 4487 (हीरो योगा) गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण

1- उप-निरीक्षक श्री अजय कुमार यादव, थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर ।

2- उप-निरीक्षक श्री सुभाष प्रजापति, थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।

3- मुख्य आरक्षी रामप्रताप थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर ।

4- मुख्य आरक्षी विजय प्रकाश थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट दिनांक 23-08-2020

दिनांक 23-08-2020 नोवेल कोरोना वायरस महामारी के दृष्टिगत लगाए गए निषेधाज्ञा/लॉकडाउन तथा जनपद में धारा 144 का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों एवं फर्टाटा भरने वाले वाहनों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु श्री विजय दुल, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:-23-08-2020 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 189 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 94 वाहनों का चालान कर कुल 61,900/- रुपये शमन शुल्क वसूल किया गया ।

प्रेस नोट दिनांक 23 -08-2020

श्री विजय दुल, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के आदेश के अनुपालन में तथा श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री प्रदीप कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी, सदर के कुशल निर्देशन में श्री राजेंद्र बहादुर सिंह, प्रभारी निरीक्षक, थाना व जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में थाना सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा आज दिनांक 23 .08.2020 को शान्ति व्यवस्था कायम रखने व संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने के दृष्टिगत कुल 05 अभियुक्तों के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही की गयी ।